

19.9.22

पत्रावली दि 19/9/22 को पेश हो ! fi
अतः पूरा आदेशानुसार
वकील पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपर है।
वकील प्रार्थी का वाड ऑर्डर-9R-5 में स्वीकृत
किया जा चुका है। इसलिए अब न.1 प्रार्थना
पत्र का कोई ऑचिल शेष नहीं रह जा रहा है
अतः न.1 प्रार्थना-पत्र ऑर्डर-9R-5 जा.सी.
में स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली में
शुमार लेकर दर्ज नंबर से कम ही। आदेश
सुदूर न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक प्रियुक्त

